भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 2–840/यू0पी0/एस0ए0जी0/2008–10/एफ0सी./1238

दिनॉक : 19.10.2011

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 08.11.2011 को प्रातः 11:00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जायेगा।

कम0	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या
1.	आगरा– अलीगढ़ मार्ग (एन0एच0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद आगरा में पड़ने वाले किमी0 00.000 से 14.650 तक 7.90 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 484 वृक्षों के पातन, जनपद महामायानगर में पड़ने वाले किमी0 14.650 से 66.000 तक 23.285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1841 वृक्षों के पातन एवं जनपद अलीगढ़ में पड़ने वाले 66.000 से 79.000 तक 6.10 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 505 वृक्षों के पातन की परियोजना में कुल 37.285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 2830 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	आगरा/अलीगढ़/महामायानगर	37.285	8बी/यू0पी0/069/103/2011/एफसी
2.	गाजियाबाद में हिण्डन कट कैनाल के किमी0 0.250 से 7.950 के मध्य दांयी पटरी पर सिचाई विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु 6.468 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4710 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	गाजियाबाद	6.468	8बी/यू0पी0/06/92/2011/एफसी

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य/अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों।

भवदीया,
19/10/11
(शैलजा सिंह)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)